RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक १६] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९/श्रावण २४-३०, शके १९४१ [पृष्ठे २३

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४, सन २०१७.— महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, २०१७। . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५, सन २०१७.— पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१७। . .	९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६, सन २०१७.— महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१७। . .	१२

MAHARASHTRA ACT No. XLIV OF 2017.

THE MAHARASHTRA PROTECTION OF PEOPLE FROM SOCIAL BOYCOTT (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2016

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २० जून, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIV OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE PROHIBITION OF SOCIAL BOYCOTT OF A PERSON OR GROUP OF PERSONS INCLUDING THEIR FAMILY MEMBERS, AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४, सन् २०१७।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ जुलाई, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसमें उनके पारिवारिक सदस्यों समेत सामाजिक बहिष्कार के प्रतिषेध के लिए और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में के ध्येयों में से एक नागरिकों के बीच बन्धुता को बढ़ावा देकर उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सुनिश्चित करके उसे प्रतिष्ठापित करना हैं ;

और क्योंकि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का सामाजिक बहिष्कार करना, संविधान के भाग तीन में के मुलभूत अधिकारों का उल्लंघन है ;

और क्योंकि यह देखा गया है कि, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसमें उनके पारिवारिक सदस्यों के समेत सामाजिक बहिष्कार का अमानवीय आचरण, राज्य के विभिन्न भागों में अब तक किया जा रहा है ;

और क्योंकि यह प्रतीत होता है कि, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसमें उनके पारिवारिक सदस्यों समेत सामाजिक बहिष्कार की अनिष्टता का संपूर्ण विलोपन करने में विद्यमान विधियाँ प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है ;

और क्योंकि लोक कल्याण के हित में सामाजिक सुधार के एक मामले के रुप में सामाजिक बहिष्कार का प्रतिषेध करने के लिए यह आवश्यक है ;

और क्योंकि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि, राज्य में लोगों को उनके मानव अधिकारों के साथ सद्भाव में जीवन बिताने के लिए, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसमें उनके पारिवारिक सदस्यों समेत सामाजिक बहिष्कार के प्रतिषेध के लिए और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " जाति पंचायत " का तात्पर्य, किसी भी समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा गठित एक समिति या निकाय है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, जो एक ही समुदाय मे विभिन्न प्रथाओं को विनियमित करने के लिए समुदाय के भीतर कार्य करती है। किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रिक करती है और उसके सदस्यों समेत उनके परिवारों के बीच किसी भी वाद का मौखिक या लिखित कथन जारी करके सामूहिक रुप से हल करती है या फैसला करती है, वह चाहे " पंचायत " या " गावकी " या किसी अन्य नाम या विवरण से पुकारी जाए, से है ;

(ख) जाति पंचायत के संबंध में " समुदाय " का तात्पर्य, लोगों का समूह जो जन्म, धर्म-परिवर्तन या किसी धार्मिक संस्कार या अनुष्ठानों का पालन करने से वे एक ही धर्म या धार्मिक पंथ जाति, उप-जाति के हैं, इस तथ्य के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं ;

(ग) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य महाराष्ट्र सरकार से है ;

सन् १९९४ का १०।

(घ) " मानव अधिकार " का तात्पर्य, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ की धारा २ के खण्ड (घ) में जो समुनुदेशित अर्थ है, वही अर्थ होगा ;

(ङ) " सदस्य " का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है जो किसी समुदाय का सदस्य है ;

(च) " सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिकारी " का तात्पर्य, धारा १५ के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित सरकार के किसी अधिकारी से है ;

(छ) " सामाजिक बहिष्कार " का तात्पर्य, धारा ३ में विनिर्दिष्ट, समुदाय के सदस्यों के बीच किसी सामाजिक भेदभाव के कोई संकेत या बरताव, चाहे वह मौखिक या लिखित, जो भी हो से है ;

(ज) " पीड़ित " का तात्पर्य, कोई भी व्यक्तिगत या उसके रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी वारिस समेत जिन्हें सामाजिक बहिष्कार के कार्य के परिणामस्वरूप शारीरिक, या मौद्रिक हानि उठानि पड़ी है या अनुभव हुआ है या उनकी संपत्ति को क्षति पहुँची है से है।

सन् १८६० का ४५। सन् १८७२ का १। सन् १८७४ का २। सन् १९९४का १०।

(२) इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हुए परन्तु भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, १९९३ या, यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमितियों में क्रमशः समनुदेशित अर्थान्तर्गत से हुआ माना जायेगा।

सामाजिक बहिष्कार।

३. कोई भी सदस्य या सदस्यों के समूह जिसने निम्नलिखित में से किसी कार्य या कायों को किया है तो किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों पर सामाजिक बहिष्कार अधिरोपित हुआ समझा जाएगा :—

(एक) यदि वह किसी सामाजिक या धार्मिक प्रथा या कृत्य का अनुपालन करने से या समाजिक, धार्मिक या समुदाय के समारोह, धर्मसंघ, सभा, बैठक या जुलूस में भाग लेने से उसके समुदाय के किसी सदस्य को रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कारण बनता है ;

(दो) यदि वह उसके अपने समुदाय के किसी सदस्य को जिन्हें प्राय: और मामूली तौर से विवाह, अंतिम संस्कार या अन्य धार्मिक कर्म और कृत्य करने का अधिकार है उन्हें इंकार करता है या अस्वीकृत करता है या इंकार करने या अस्वीकृत करने का कारण बनता है ;

(तीन) यदि वह किसी भी आधारों पर सामाजिक बहिष्कार करता है या सामाजिक बहिष्कार करने का कारण बनता है ;

(चार) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को समाज में उलझाने या ऐसे सदस्य के जीवन को दु:खी बनाने के परिणामस्वरूप, ऐसे सदस्य के साथ सामाजिक, व्यावसायिक संबंधों में हस्तक्षेप करने से बचकर रहता है या मना करता है ;

(पाँच) यदि वह उसके समुदाय के किसी सदस्य को पूर्त, धार्मिक या लोक प्रयोजन के लिए उपयोगी किसी स्थान के उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी स्थान से जो ऐसे समुदाय की निधियों में से समुदाय के निमित्त और उसकी ओर से उसेके अपने समुदाय द्वारा पूर्णत: या अंशत: स्थापित या पोषित हैं और उसके अपने समुदाय के किसी अन्य सदस्यों द्वारा या उनके उपयोग के लिए सामान्यत: उपलब्ध हैं के पहुँच से रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कारण बनता है ;

(छह) यदि वह उसके समुदाय के किसी सदस्य को किसी विद्यालय, शैक्षणिक संस्था, चिकित्सा संस्था, समुदाय हॉल, क्लब हॉल, कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र की सुविधाओं का उपयोग करने या पहुँच से या उसके समुदाय द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई अन्य स्थान या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान का लाभ लेने के लिए रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कारण बनता है ;

(सात) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को उसके समुदाय के लाभ के लिए सृजित पूर्त न्यास के अधीन किसी लाभ का उपभोग लेने से रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कारण बनता है ;

(आठ) अपने समुदाय के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समाजिक, धार्मिक, वृत्तिक या व्यावसायिक संबंध से अलग करने के लिये अपने समुदाय के किसी सदस्य को भडकता है या उकसाता है या प्रोत्साहित करता है ;

(नौ) यदि वह उसके समुदाय के किसी सदस्य को पूजा या तीर्थयात्रा का कोई स्थान जो सामान्यत: उसके समुदाय के सदस्यों के लिए खुला है उसमें प्रवेश, आवास या अन्यथा उपयोग करने से रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कारण बनता है ;

(दस) यदि वह उसके समुदाय के किसी सदस्य को ऐसे सामाजिक, वृत्तिक या व्यावसायिक संबंध जैसे कि वह उसके समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ आमतौर पर स्थापित या बनाए रखता होगा वैसे ही संबंध स्थापित करने या बनाए रखने से रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कराण बनता है ;

(ग्यारह) यदि वह उसके समुदाय के किसी बच्चे को समुदाय के विशिष्ट परिवार या परिवारों के बच्चे के साथ खेलने से रोकता है या अवरोधन करता है या रोकने या अवरोधन करने का कारण बनता है ;

(बारह) यदि वह उसके समुदाय के किसी सदस्य को मानव अधिकारों का उपभोग करने से अवरोधन करता है या इनकार करता है या अवरोधन करने या इनकार करने का कारण बनता है ;

(तेरह) यदि वह समुदाय के सदस्यों के बीच नैतिकता, सामाजिक स्वीकृति, राजकीय झुकाव, लैंगिकता के आधार पर या किसी अन्य आधार पर विभेद करता है या विभेद करने का कारण बनता है ;

(चौदह) यदि वह समुदाय के किसी सदस्य पर विशिष्ट ढंग के कपड़े पहनने या किसी विशिष्ट भाषा का उपोयग करने के लिए सांस्कृतिक बाधा या विवशता सृजित करता है या सृजित करने का कारण बनता है ;

(पंद्रह) यदि वह उसके समुदाय के किसी सदस्य को उक्त समुदाय से निष्कासित करता है या निष्कासन का कारण बनता है ; और

(सोलह) यदि वह किसी अन्य समान कृत्यों को करता है जो सामाजिक बहिष्कार के विषय में हो।

सामाजिक बहिष्कार का प्रतिशेध।

४. सामाजिक बहिष्कार एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध है और उसका आचरण करना एक अपराध होगा।

सामाजिक बहिष्कार के लिए दण्ड।

५. जो कोई भी उसके समुदाय के सदस्य पर कोई सामाजिक बहिष्कार अधोरोपित करता है या सामाजिक बहिष्कार अधिरोपित करने का कारण बनता है तब या तो तोषसिद्धि पर या विवरण पर कारावास से दण्डित किया जाएगा जो कि तीन वर्षों तक बढ़या जा सकेगा या जुर्माने से जो कि एक लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण एक.—कोई व्यक्ति जो जाति पंचायत के अन्य सदस्यों को प्रभावित करके अपनी शक्तियों का उपयोग या उपयोग का कारण बनता है तो उसकी बैठक में सामाजिक बहिष्कार के अधिरोपन के लिए मतदान किया गया है, ऐसी व्यक्ति ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं है तो भी उसने इस धारा के अधीन अपराध किया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण दो.—जहाँ जाति पंचायत के बैठक में सामाजिक बहिष्कार अधिरोपन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है वहाँ बैठक में ऐसे निर्णय के पक्ष में मतदान किया गया है या जब ऐसा प्रस्ताव रखा गया था तब ऐसी बैठक के विचार-विमर्श में सहभागी हुआ है, ऐसा प्रत्येक सदस्य इस धारा के अधीन अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

सामाजिक बहिष्कार अधिरोपित करने के लिए एकत्र होने पर प्रतिषेध।

६. कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिओं का समूह समुदाय के किसी सदस्य पर सामाजिक बहिष्कार अधिरोपित करने के मामले में विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से या आशय किसी समय पर या किसी स्थान पर एकत्र नहीं मिलेंगे, एकत्र नहीं जुटेंगे या एकत्र नहीं होंगे ; और ऐसे समूह या जमाव या सभा के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव के रुप में व्यवहार किया जाएगा और ऐसे जमाव का संयोजन तथा आयोजन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति और उसमें सहभागी होने वाला उसका प्रत्येक सदस्य जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो कि एक लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा।

अपराध की सहायता या अवप्रेरितता के लिए दण्ड।

७. प्रत्येक व्यक्ति जिसने धारा ४ के अधीन अपराध कार्य को सहायता या अवप्रेरित किया है वह कारावास से दण्डित किया जाएगा जो तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

पिछले सामाजिक बहिष्कार के कृत्य शून्य होंगे।

८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक को सामाजिक बहिष्कार की कोई कार्यवाही, ऐसे प्रारंभण के दिनांक से रद्द हो जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(२) कोई भी जाति-पंचायत, जो सामाजिक बहिष्कार का अधिरोपण का कारण बनती है तो समझा जायेगा कि धारा ४ के अधीन अपराध किया है और धारा ५ के अधीन दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

पीड़ित को दण्डादेश सुनाया जाना।

९. यदि अभियुक्त सिद्धदोषी है तो न्यायालय दण्डादेश की मात्रा पर पीड़ित पर सुनवाई करेगी और तत्पश्चात्, उस पर दण्डादेश पारित करेगी।

अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होंगे।

१०. इस अधिनियम के अधीन दण्डणीय कोई अपराध, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय और ज़मानती तथा परीक्षणीय होंगे।

अपराध का प्रशमन।

११. इस अधिनियम के अधीन दण्डणीय अपराध, पीड़ित की सहमति से और न्यायालय की अनुमति से प्रशमनीय होंगे :

परंतु, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले ऐसी सामुदायिक सेवाओं के अनुपालन के शर्त के अध्यधीन अपराध के प्रशमन के लिए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, न्यायालय, आदेश द्वारा, अनुमति प्रदान करेगा।

शिकायत प्राप्त होने पर अपनायी जानेवाली प्रक्रिया।

१२. (१) पीड़ित या उसके परिवार का कोई सदस्य, या तो पुलिस के ज़रिए या सीधे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज कर सकेगा।

(२) मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष-उप-धारा (१) के अधीन शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस को जाँच करने का निदेश दे सकेगा।

(३) मजिस्ट्रेट, मामलों के विचारण के दौरान, जो शिकायत दर्ज करते समय, वह आवश्यक समझे, पीड़ित और उसके परिवार को किसी प्रकार की सहायता या उपाय या संरक्षण देने के लिए पुलिस या अन्य संबंधित प्राधिकरणों को भी निदेश दे सकेगा।

कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधिकारी।

१३. इस अधिनियम के अधीन सामाजिक बहिष्कार करने के अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी,—

(क) हटाने या हटाए जाने के कारण, किसी स्थान में कोई रुकावट या अवरोधन खड़े किए गए या रखे गए हैं, यदि ऐसे पुलिस अधिकारी को विश्वास करने के लिए यह पर्याप्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध करने के प्रयोजन के लिए, रुकावट या अवरोधन का उपयोग किए जाने के क्रम में इस प्रकार खड़े किए गए या रखे गए थे ; या

(ख) किसी गेट या द्वार के खोलने या खोले जाने के कारण, यदि ऐसे पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए यह पर्याप्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के प्रयोजन के लिए ऐसे गेट या द्वार बंद किए गए हैं।

कतिपय कृत्यों की रोकथाम करने की शक्ति।

१४. (१) जहाँ कलक्टर या, यथास्थिती, जिला मजिस्ट्रेट यह सूचना प्राप्त करता है कि सामाजिक बहिष्कार के अधिरोपण के लिये विधिविरुद्ध जमाव के आयोजन की संभावना है तब वह आदेश द्वारा ऐसे किसी भी विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध करेगा और इस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध कार्य की दिशा में कर रहे किसी भी कृत्य का प्रतिषेध करेगा।

(२) कलक्टर या, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट पुलिस प्राधिकरणों को समुचित निर्देश देने समेत ऐसे आदेश को प्रभावी करने के लिए जैसे वह आवश्यक समझे ऐसे कदम उठा सकेगा।

सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिकारी।

१५. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जैसा कि वह आवश्यक समझे ऐसे सरकार के किसी अधिकारी को सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकेगी और उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित कर सकेगी जिनके भीतर नियमों द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा।

सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिकारी के कृत्य।

१६. निम्न सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिकारी के कृत्य होंगे,—

(क) उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा कि वह उचित समझे ऐसी कार्यवाही करके अपराध कार्य का पता लगाना और मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट को जिस समय वह अपराधों का विचारण करता है और उसकी कार्यवाहियाँ करता है तब उसे सहायता करना ;

(ग) पुलिस अधिकारीयों को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना ;

(घ) यह देखने के लिए कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समुदाय सेवाओं के आदेश को लागू किया जा रहा है, और अभियुक्त व्यक्ति से ऐसे आदेश के अनुपालन के संबंध में न्यायालय को रिपोर्ट अग्रेषित करना ;

(ङ) अपने कार्य के संबंध में उसकी त्रैमासिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधीक्षक को या, यथास्थिति, पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत करना ;

(च) राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जा सके ऐसे अन्य कर्तव्यों का निवर्हन करना।

पीड़ित को प्रतिकर।

१७. जब मजिस्ट्रेट जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित करता है तो न्यायालय, जब न्यायनिर्णय पारित करते समय पीड़ित और उसके परिवार को दिये जानेवाले प्रतिकर के रूप में वसूली किये गये जुर्माने के संपूर्ण या किसी भाग का आदेश देगी।

अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा।

१८. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त और अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोपों का विरचन।

सन् १८६० का ४५।

१९. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये आरोपों का विरचन करते समय मजिस्ट्रेट भारतीय दण्ड संहिता, की धाराएँ ३४, १२०-क, १२०-ख, १४९, १५३-क,३८३ से ३८९ और ५११ के अधीन या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन आरोप विरचित करेगा, यदि जिन उपबंधों के अधीन किसी अपराध करने का तथ्य प्रकट होता है।

निरसन।

२०. निम्न विधियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं, अर्थात् :—

सन् १८२७ का बम्बई विनियम ११।

(क) बम्बई विनियमन, सन् १८२७ का दो ;

सन् १८५० का २१।

(ख) जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, १८५० (महाराष्ट्र राज्य में उसकी यथाप्रयुक्ति में)

सन् १९४९ का बम्बई ४२।

(ग) बम्बई जातिच्युत करने का प्रतिषेध अधिनियम, १९४९।

नियम बनाने की शक्ति।

२१. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या ठिक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये और उस प्रभाव के अपने विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम ऐसी अधिसूचना के **राजपत्र** में प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से विलुप्त किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

२२. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन् असंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षो की अवधि अवसित होने के बाद, इस उप-धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक, आदेश, उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के सक्षम रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLV OF 2017.

THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक १९ जुलाई, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLV OF 2017.

AN ACT TO AMEND THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५, सन् २०१७।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३१ जुलाई, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, १९६० में संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९६० का ५९। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, १९६० में संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाये।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९६० का ५९ की धारा २ में संशोधन।

सन् १९६० का ५९। **२.** (१) महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ख ख) " बैलगाडी दौड़ " का तात्पर्य, परम्परागत और सांस्कृतिक उत्सव के दिन किसी जिले में ऐसे स्थानों में परम्परागत उत्सव मनाये जाते हैं और जिला कलक्टर द्वारा उसे पहले से ही अनुमति दी जाती है ऐसे स्थान और समय में चाहे सांड या बैलों को खुले या लकडी के जुए की मदद से गाडी के लिए ज्वार

(चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए), किसी गाडी आदमी से या बीना दौड़ का आयोजन करने से है और इसमें महाराष्ट्र राज्य में, यह " **बैलगाडा शर्यत** ", " **छकड़ी** " और " **शंकरपट** " नाम से भी जाना जाता है ; "।

सन् १९६० का ५९ की धारा ३ में संशोधन।

३. (१) मूल अधिनियम की धारा ३, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैलगाडी दौड़ का आयोजन की अनुमति दी जा सकेगी, केवल इस शर्त के अध्यधीन कि इस अधिनियम द्वारा या के अधीन परिकल्पित बैलगाडी दौड़ आयोजित करने के लिये किसी व्यक्ति या पशुओं के प्रभारी व्यक्ति द्वारा और राज्य सरकार द्वारा ३८ ख के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन पशुओं को दर्द या पीड़ा नहीं होगी।

(३) यदि बैलगाडी दौड़ मे आयोजित किसी व्यक्ति या पशुओं के प्रभारी व्यक्ति बैलगाडी दौड़ से संबंधित उप-धारा (२) में अधिकथित शर्तों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में, पशुओं को दर्द या पीड़ा करते हैं तो वह ऐसे जुर्माने से जिसे पाँच लाख रुपयों तक या ऐसे कारावास से जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा से दण्डित किया जायेगा। "।

सन् १९६० का ५९ की धारा ११ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (३) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ग-१) परम्परा और संस्कृति का पालन करने और बढ़ावा देने और सांड के देशी नस्लों के संरक्षण सुनिश्चित करने साथ ही उनकी शुद्धता, सुरक्षा और कल्याण की दृष्टि से धारा ३ की उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसरण में बैलगाडी दौड़ का आयोजन करना या उसमें भाग लेना ; या "।

सन् १९६० का ५९ की धारा २२ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २२, में निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु, इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात धारा ३ की उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसरण में बैलगाडी दौड़ के आयोजन के लिये लागू नहीं होगी। "।

सन् १९६० का ५९ की धारा २७ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा २७ के खण्ड (क) के, पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) परम्परा और संस्कृति का पालन करने और बढ़ावा देने और सांड के देशी नस्लों के अस्तित्व और उसे बनाए रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, धारा ३ की उप-धारा (२) के उपबंधों के, अनुसरण में, बैलगाडी दौड़ का आयोजन करना ; या "।

सन् १९६० का ५९ की धारा २८ क की निविष्टि।

७. मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

बैलगाडी दौड़ के संबंध में व्यावृत्ति।

" **२८क.** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, परम्परा और संस्कृति का पालन करने और बढ़ावा देने के लिये धारा ३ की उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसरण में बैलगाडी दौड़ आयोजित करने के लिये आवेदन नहीं करेगा और ऐसा आयोजन इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध नहीं होगा। "।

सन् १९६० का ५९ की धारा ३८ ख की निविष्टि।

८. मूल अधिनियम की धारा ३८क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

" **३८ख.** (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, अधिनियम की धारा ३ के उप-धारा (२) के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये, केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के साथ अनसंगत नियम बनाएगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्रों के सत्र या अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए और **राजपत्र** में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करते है तो नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिती, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी। ”।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLVI OF 2017.

THE MAHARASHTRA (SECOND SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ९ अगस्त, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव,
एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLVI OF 2017.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2018.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १० अगस्त, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१८ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि, उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१८ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाये ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१७ कहलाए।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिये, ३ खरब, ३५ अरब, ३३ करोड़, ८५ लाख, २१ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नही होंगी और जो कुल मिलाकर तीन खरब, पैंतीस अरब, तैंतीस करोड़, पचासी लाख, इक्कीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	९१,०७,९८,०००	....	९१,०७,९८,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	.. २२२०, सूचना तथा प्रचार।	..	१,०००	....	१,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	..	९१,०७,९९,०००	....	९१,०७,९९,०००
		गृह विभाग।				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	४५,६६,७९,०००	....	४५,६६,७९,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	.. २०३९,राज्य उत्पादन शुल्क।	..	२,४४,००,०००	....	२,४४,००,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, अन्तरदेशीय जल परिवहन।	..	१,१५,३७,६५,०००	३५,४५,२४,०००	१,५०,८२,८९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	१,६१,५०,०००	. . . .	१,६१,५०,०००
बी-५	जेल। . .	२०५६, जेल।	. .	२,४४,००,०००	. . . .	२,४४,००,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	. .	१,७६,००,४९,०००	. . . .	१,७६,००,४९,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	३,४३,५४,४३,०००	३५,४५,२४,०००	३,७८,९९,६७,०००
		राजस्व तथा वन विभाग।				
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	१,३३,३०,०००	. . . .	१,३३,३०,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र।	. .	४६,२६,४६,०००	. . . .	४६,२६,४६,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	४७,५९,७६,०००	. . . .	४७,५९,७६,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	२,२९,२१,९६,०००	. . . .	२,२९,२१,९६,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	४१,१९,४४,०००	. . . .	४१,१९,४४,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास। . .	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	. .	१,७५,१९,०००	. . . .	१,७५,१९,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।		२२,६०,७६,०००	. . . .	२२,६०,७६,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	२,९४,७७,३५,०००	. . . .	२,९४,७७,३५,०००

	विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२३,३८,४७,०००	....	२३,३८,४७,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	६,८५,१०,०००	....	६,८५,१०,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	३०,२३,५७,०००	....	३०,२३,५७,०००
	नगरविकास विभाग।				
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	५७,११,२३,०००	....	५७,११,२३,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	१,०००	....	१,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	७३,५६,५३,००,०००	....	७३,५६,५३,००,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	७४,१३,६४,२४,०००	....	७४,१३,६४,२४,०००
	जलस्रोत विभाग।				
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	२०,६६,०००	....	२०,६६,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	२०,६६,०००	....	२०,६६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विधि तथा न्याय विभाग।				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	७,१४,२०,०००	४१,०३,०००	७,५५,२३,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	७,१४,२०,०००	४१,०३,०००	७,५५,२३,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।				
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	. .	४५,२५,९८,०००	. . . .	४५,२५,९८,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	४५,२५,९८,०००	. . . .	४५,२५,९८,०००
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२३,१६,३६,०००	. . . .	२३,१६,३६,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	२,३५,६८,३७,०००	. . . .	२,३५,६८,३७,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	२,५८,८४,७३,०००	. . . .	२,५८,८४,७३,०००

	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।				
एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	१,०४,७८,०५,०००	....	१,०४,७८,०५,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	३,७९,५०,०००	....	३,७९,५०,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	१,०८,५७,५५,०००	....	१,०८,५७,५५,०००
	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,३३,४४,०९,०००	....	२,३३,४४,०९,०००
एन-६	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	८०,९९,८२,०००	....	८०,९९,८२,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	३,१४,४३,९१,०००	....	३,१४,४३,९१,०००
	योजना विभाग।				
ओ-१	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	५०,००,०५,०००	....	५०,००,०५,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन।	....	२५,००,००,०००	२५,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	२,०००	....	२,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	१,९२,६८,०००	....	१,९२,६८,०००
		कुल—योजना विभाग।	५१,९२,७५,०००	२५,००,००,०००	७६,९२,७५,०००
	लोकस्वास्थ्य विभाग।				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१७,१०,०४,९७,०००	....	१७,१०,०४,९७,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	१७,१०,०४,९७,०००	....	१७,१०,०४,९७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।				
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. . २२५१, चिकित्सा सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		जनजाति विकास विभाग।				
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।	. .	११,६३,३६,५३,०००	. . . .	११,६३,३६,५३,०००

		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। २८५२, उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।			
		कुल—जनजाति विकास विभाग। ..	११,६३,३६,५३,०००	. . .	११,६३,३६,५३,०००
	सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।				
वी-२	सहकारिता। ..	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल अपूर्ति। ..	१,९५,७७,३०,३८,०००	. . .	१,९५,७७,३०,३८,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग। ..	१,९५,७७,३०,३८,०००	. . .	१,९५,७७,३०,३८,०००
	उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। ..	. . .	१,०४,७४,७२,०००	१,०४,७४,७२,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा। ..	२२०२, सामान्य शिक्षा। ..	४,५८,२५,०००	. . .	४,५८,२५,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा। ..	२२०३, तकनीकी शिक्षा। ..	१,०००	. . .	१,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति । ..	२२०५, कला तथा संस्कृति। ..	४,२०,०६,०००	. . .	४,२०,०६,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग। ..	८,७८,३२,०००	१,०४,७४,७२,०००	१,१३,५३,०४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		महिला तथा बाल विकास विभाग।				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	..	३,४५,३०,३५,०००	. . .	३,४५,३०,३५,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	३,४५,३०,३५,०००	. . .	३,४५,३०,३५,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।				
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	३५,००,००,०००	. . .	३५,००,००,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	३५,००,००,०००	. . .	३५,००,००,०००
		कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।				
जेड क-१	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	१५,००,००,०००	. . .	१५,००,००,०००
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	. .	१५,००,००,०००	. . .	१५,००,००,०००
		महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				
जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	. .	४,२७,५०,०००	. . .	४,२७,५०,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	४,२७,५०,०००	. . .	४,२७,५०,०००
		मराठी भाषा विभाग।				
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		३०,००,०००	. . .	३०,००,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग।	. .	३०,००,०००	. . .	३०,००,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	३,१८,६६,६५,१८,०००	१,६५,६०,९९,०००	३,२०,३२,२६,१७,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।

डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।	. .	८,००,००,०००	. . .	८,००,००,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग	. .	८,००,००,०००	. . .	८,००,००,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।

ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		२०,५०,००,०००	. . .	२०,५०,००,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग	. .	२०,५०,००,०००	. . .	२०,५०,००,०००

नगरविकास विभाग।

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	५,१८,३३,००,०००	. . .	५,१८,३३,००,०००
एफ-७	नगरविकास के लिए कर्ज ।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	. .	३०,००,००,०००	. . .	३०,००,००,०००
		कुल—नगरविकास विभाग	. .	५,४८,३३,००,०००	. . .	५,४८,३३,००,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग।

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१८,३९,०३,०००	. . .	१८,३९,०३,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एच-८	लोकनिर्माण कार्य प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२९,३६,५९,०००	१,१५,००,०००	३०,५१,५९,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग	. .	४७,७५,६३,०००	१,१५,००,०००	४८,९०,६३,०००
		जलस्रोत विभाग।				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५,००,००,३७,०००	. . .	५,००,००,३७,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग	. .	५,००,००,३७,०००	. . .	५,००,००,३७,०००

		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।			
एम-४	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग . .	२,०००	. . .	२,०००
		योजना विभाग।			
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१,६५,६५,०१,०००	. . .	१,६५,६५,०१,०००
		कुल—योजना विभाग। . .	१,६५,६५,०१,०००	. . . .	१,६५,६५,०१,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।			
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । . .	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । . .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग . .	१,०००	. . .	१,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।			
वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।	२,१०,२०,००,०००	. . .	२,१०,२०,००,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग . .	२,१०,२०,००,०००	. . .	२,१०,२०,००,०००
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय . .	१५,००,४४,०४,०००	१,१५,००,०००	१५,०१,५९,०४,०००
		कुल योग . .	३,३३,६७,०९,२२,०००	१,६६,७५,९९,०००	३,३५,३३,८५,२१,०००

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.